

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक-प.10(6)/वन/2003

जयपुर, दिनांक 07 DEC 2009

अधिसूचना

इस विभाग के आदेश संख्या प.2(6)राज-8/73 दिनांक 31.01.1974 जो राजस्थान राजपत्र भाग 4 (ग) उप खण्ड (II) दिनांक 31.01.1974 में प्रकाशित हुई थी का अतिलंघन करते हुए निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

क्रम सं0 2 व 8 में प्रदत्त अधिकारों एवं शक्तियों के अन्तर्गत अभिव्यक्त "वन संरक्षक (प्रादेशिक वृत्त)" के स्थान पर "मुख्य वन संरक्षक (संबंधित संभाग)" पढा जावें।

इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ10(38)राज-8/82 दिनांक 13.03.1984 जिसका अतिलंघन करते हुए निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

क्रम सं0 1 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत अभिव्यक्त "वन संरक्षक (प्रादेशिक)" के स्थान पर "मुख्य वन संरक्षक (संभाग)" पढा जावें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(वीरेन्द्र सिंह)
मुख्य वन संरक्षक एवं
अतिरिक्त शासन सचिव (वन)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव, प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
5. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)/ (प्रशासन)/ (विकास)/ (परियोजना)/ अरावली वृक्षारोपण परियोजना, जयपुर
6. मुख्य वन संरक्षक, तेन्दू पत्ता योजना, जयपुर/ वानिकी विकास परियोजना, कोटा/ डीएपीडी, जोधपुर/ अजमेर/ भरतपुर/ अरावली वृक्षारोपण परियोजना, जयपुर/ परियोजना कोटा/ मुख्य वन संरक्षक (संभाग), उदयपुर।
7. उप वन संरक्षक/ मण्डल वन अधिकारी (सतस्त).....
8. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को दी जाकर लेख है कि इस अधिसूचना को असाधारण राजपत्र में तत्काल प्रकाशन करवाकर इस विभाग को सूचित करें।

अतिरिक्त शासन सचिव (वन)